न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 82/2019 दायरा दिनांक : 17.06.2019

उनवान

1– नारायण आत्मज स्वर्गीय श्रीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

2– लाल चन्द आत्मज स्वर्गीय श्रीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

3– स्वर्गीय श्रीमती सोसर बाई मृतक जरिये कायम मुकामान नारायण व लाल चन्द पिसरान आत्मज स्वर्गीय श्रीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– दुर्गा शंकर आत्मज रामरतन, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

2– दीप माला पत्नी हंसराज नागर, जाति धाकड़, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

3– सोसर बाई पत्नी श्रीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

3/1– मूल चन्द आत्मज स्वर्गीय श्रीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह ...
स्टेनो–(ग्रेड II)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

3/2– निकलेश पुत्री स्वर्गीय श्रीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

3/3– ममता पुत्री स्वर्गीय श्रीलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री एन.के. गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 7/2015 निर्णय दिनांक 30.05.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां जिला बारां में जमाबंदी संम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या नयी 144 पुरानी 278 में अंकित खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 1262 रकबा 2.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 1324 रकबा 0.48 हेक्टर कुल 3 किता कुल रकबा 3.07 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 24.02.2016 को पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है । वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा रेस्पोडेंट को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.07 हेक्टर आराजी के दौराने दावा किये गये बेचान के

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टैनो–(पी. ए)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आधार पर नामान्तरकरण रेस्पोडेंट क्रम 2 के पक्ष में तस्दीक फरमाने, दर्ज फरमाने एवं जमाबंदी में केता रेस्पोडेंट क्रम 2 दीपमाला का नाम दर्ज होने तक स्थगन आदेश से छूट प्रदान करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में दिनांक 24.02.2016 को पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म फरमाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2015 को प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, उक्त प्रकरण में दिनांक 15.10.2015 को जवाब प्रस्तुत होने तक मौके की यथास्थिति बाबत आदेश पारित किया गया था । वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 ने दौराने दावा सर्वथा गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से रेस्पोडेंट क्रम 2 दीपमाला पत्नी श्री हंसराज नागर, जाति धाकड, निवासी ग्राम इकलेरा, तहसील बारां की खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.07 हेक्टर भूमि का बेचान कर दिया। उक्त बेचान दौराने दावा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही किये जाने से धारा 52 ट्रान्सफर आर्फ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है, अवैध एवं प्रभावशून्य है । रेस्पोडेंट क्रम 1 ने दिनांक 21.12.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2019 को स्वीकार फरमा दिया था । प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम एवं काउंटर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कार्यवाही विचाराधीन थी, इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट की प्रार्थना से परे जाकर रेस्पोडेंट क्रम 2 दीपमाला के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का, राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अमल दरामद किये जाने बाबत आदेश पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट क्रम 1 का वाद विषयक ग्राम इकलेरा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 1143 रकबा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टैनो-(पी ए)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

0.07 हेक्टर आराजी पर कोई हक एवं अधिकार एवं कब्जा भी नहीं था इसके बावजूद उसने उक्त आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 2 को बेचान की है जो अवैध व शून्य है, जिससे रेस्पोडेंट कम 2 को कोई हक हकूक वादग्रस्त आराजी पर प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट ने ग्राम इकलेरा, तहसील बारां की हाल खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.07 हेक्टर आराजी के सम्बन्ध में काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था कि उपरोक्त भूमि पूर्व में बिरधा जी आत्मज हीरा गूर्जर के खाते एवं कब्जे काश्त में थी। बिरधा के कोई औलाद नहीं थी इस कारण उन्होंने उनके भाई सुखलाल उर्फ सुक्खा की पुत्री सोसर बाई जो अपीलांट की माता थी को उनके विवाह के समय कन्यादान में दे दी थी जिसका उल्लेख जागा की पोथी में है । तब से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलांट की माता सोसर बाई एव पिता श्रीलाल का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु सैटलमेंट विभाग ने बिरधा आत्मज हीरा के स्थान पर सर्वथा गैरकानूनी एवं अनाधिकृत रूप से मांगीलाल आत्मज चतरा के नाम दर्ज कर दी जिसका सैटलमेंट के कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बदस्तूर सोरबाई एवं श्रीलाल का ही चला आ रहा है । मांगीलाल का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । मांगीलाल लाऔलाद फौत हुआ था । मांगीलाल के स्वर्गवास के बाद वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवा ली किन्तु वादी रेस्पोडेंट कम 1 दुर्गालाल का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । सोसर बाई का उक्त आराजी पर उनके जीवनकाल तक निरन्तर कब्जा रहा तथा सोसरबाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपीलांट उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी उनके कब्जे काश्त में है । कानूनन प्रतिवादीगण अपीलांट उक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह हाड़ा
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति एवं कब्जे के सम्बन्ध में कोई फाइण्डिंग दिये बिना ही हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीख में नहीं आने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे (28) 2021 पेज 139 से 142 प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया एवं अपने पक्ष के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2070 खाता संख्या नया 464 पुराना 144 ग्राम इकलेरा, तहसील बारां के खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.07 हेक्टर पेश की तथा डी एन जे 2013 (एस सी) पेज 561 से 565, डी एन जे 2012 (एस सी) पेज 943 से 964, आर बी जे (11) 2004 पेज 299 से 302, आर एल डब्ल्यू 2007 (1) आर जे पेज 348 से 350, 2006 (1) डी एन जे (राज.) पेज 421 से 422 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित नहीं किया गया है। अतः अपील को हम रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी, साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर, गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निर्णय नये सिरे से विधि सम्मत पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.11.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा